सं०प्र०–10/ परा०–24/2013– 2071(18)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंकर झा,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

अधीक्षक / प्राचार्य,
सभी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार।
सभी क्षेत्रीय उप निदेशक,
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार।
सभी असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार।

पटना, दिनांक: 21/12/2013

विषयः– तेजाब (एसिड) हमलों के पीड़ितों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

प्रसंगः– स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार का पत्र संख्या– 2.28015/46/2013–H दिनांक–02.05.2013.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र की छाया प्रति संलग्न करते हुए कहना है कि संलग्न पत्र में उल्लिखित प्रावधानों के अंतर्गत सभी सरकारी/गैर सरकारी तथा निजी अस्पतालों/संस्थानों में तेजाब (एसिड) हमलों के पीड़ितों को मुफ्त चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन
21.12.13
(शंकर झा)
सरकार के विशेष सचिव।

सं0 सं0 – 14 / विविध–15 / 15

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

संकल्प

विषय :– मुख्य मंत्री चिकित्सा सहायता कोष से तेजाब हमलों से पीड़ितों को मुआवजा राशि प्रदान करने के संबंध में।

वर्तमान में तेजाब हमलों से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है, जिसके कारण विभिन्न जिलों, कसबों तथा गाँवों में व्यक्तिगत दुर्भावना से ग्रसित होकर असमाजिक तत्वों द्वारा तेजाब फेंक कर लोगों का (विशेष कर महिलाओं / लड़कियों को) शरीर एवं चेहरा को जला दिया जाता है। कतिपय मामलों में तो उन पीड़ितों के आँखों की रोशनी भी चली जाती है।

2. तेजाब हमला के पीड़ितों का शरीर एवं चेहरा जल जाने पर उनको तत्काल चिकित्सा की आवश्यकता के उपरान्त प्लास्टिक सर्जरी कराने की भी आवश्यकता पड़ती है एवं इसमें काफी खर्च भी आता है जिसे वहन करना उसके लिए दुष्कर होता है। विकृत अंग को पुनः बहाल करने के लिए उन्हें Plastic Surgeon के पास शल्य चिकित्सा हेतु बार–बार जाना पड़ता है। तेजाब हमलों के पीड़ित व्यक्ति का दुःख कम करने के लिए उनके प्लास्टिक सर्जरी कराने का सम्पूर्ण खर्च का वहन सरकार द्वारा किया जाएगा।

3. (i) तेजाब हमले में पीड़ित व्यक्ति की सम्पूर्ण चिकित्सा (प्लास्टिक सर्जरी सहित) का सम्पूर्ण व्यय मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से प्राधिकृत समिति की अनुशंसा पर वहन किया जायेगा। इसमें चिकित्सा पर व्यय राशि को कोई अधिकतम् सीमा नहीं होगी।

(ii) तेजाब हमलों के पीड़ित / पीड़िता द्वारा किसी भी नजदीकी चिकित्सा संस्थान / विशेषज्ञ चिकित्सक से चिकित्सा कराना अनिवार्य होता है। अतएव, इस मामले में चिकित्सा संस्थान की मान्यता प्राप्त होने की अनिवार्यता नहीं होगी।

(iii) इस संबंध में चिकित्सा करने वाले प्रथम चिकित्सा पदाधिकारी / चिकित्सा संस्थान द्वारा यह प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा कि यह मामला तेजाब हमले से पीड़ित का है तथा पीड़ित / पीड़िता मुख्य मंत्री चिकित्सा सहायता कोष से प्रावधानित मुआवजा राशि प्राप्त करने योग्य है।

(iv) यह राशि सीधे संबंधित अस्पताल / चिकित्सा संस्थान को दी जाएगी।

(v) मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से मुआवजा राशि प्रदान करने के लिए इस मामले में कोई वार्षिक आय संबंधी सीमा नहीं होगी।

(vi) संकल्प संख्या 752 (14) दिनांक 26.06.2015 में तेजाब हमलों के पीड़ितों को 'मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष' से प्रावधानित चिकित्सा सहायता की कंडिका 2 की उप कंडिका (xi) को इस हद तक संशोधित माना जाएगा।

ह0 / –
(शेखर चन्द्र वर्मा)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक –

/स्वा0 पटना, दिनांक –2015

प्रतिलिपि – अधीक्षक,सचिवालय मुद्रणालय एवं प्रेस, गुलजारबाग, पटना को गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक – 839 (14)

/स्वा0 पटना, दिनांक –2015 - 13-7-15

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सभी जिला एवं सचिवालय सिंचाई भवन पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–मुख्य सचिव, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव/सचिव सभी विभाग/सभी जिलाधिकारी, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, अधीक्षक, सभी मेडिकल कालेज एवं अस्पताल/प्राचार्य, सभी मेडिकल कॉलेज/सभी सिविल सर्जन को सूचनार्थ।

प्रतिलिपिः– महान्यायवादी, सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली /महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना,/सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश सभी जिला, बिहार को सूचनार्थ।

13/7/15

सरकार के संयुक्त सचिव।

13-7-15

d:rajesh-sankalp acid attack

सं0 सं0 – 14 / विविध–15 / 15

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

संकल्प

विषय :– मुख्य मंत्री चिकित्सा सहायता कोष से तेजाब हमलों से पीड़ितों को मुआवजा राशि प्रदान करने के संबंध में।

वर्तमान में तेजाब हमलों से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है, जिसके कारण विभिन्न जिलों, कसबों तथा गाँवों में व्यक्तिगत दुर्भावना से ग्रसित होकर असमाजिक तत्वों द्वारा तेजाब फेंक कर लोगों का (विशेष कर महिलाओं / लड़कियों को) शरीर एवं चेहरा को जला दिया जाता है। कतिपय मामलों में तो उन पीड़ितों के आँखों की रोशनी भी चली जाती है।

2. तेजाब हमला के पीड़ितों का शरीर एवं चेहरा जल जाने पर उनको तत्काल चिकित्सा की आवश्यकता के उपरान्त प्लास्टिक सर्जरी कराने की भी आवश्यकता पड़ती है एवं इसमें काफी खर्च भी आता है जिसे वहन करना उसके लिए दुष्कर होता है। विकृत अंग को पुनः बहाल करने के लिए उन्हें Plastic Surgeon के पास शल्य चिकित्सा हेतु बार–बार जाना पड़ता है। तेजाब हमलों के पीड़ित व्यक्ति का दुःख कम करने के लिए उनके प्लास्टिक सर्जरी कराने का सम्पूर्ण खर्च का वहन सरकार द्वारा किया जाएगा।

3. (i) तेजाब हमले में पीड़ित व्यक्ति की सम्पूर्ण चिकित्सा (प्लास्टिक सर्जरी सहित) का सम्पूर्ण व्यय मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से प्राधिकृत समिति की अनुशंसा पर वहन किया जायेगा। इसमें चिकित्सा पर व्यय राशि की कोई अधिकतम् सीमा नहीं होगी।

(ii) तेजाब हमलों के पीड़ित / पीड़िता द्वारा किसी भी नजदीकी चिकित्सा संस्थान / विशेषज्ञ चिकित्सक से चिकित्सा कराना अनिवार्य होता है। अतएव, इस मामले में चिकित्सा संस्थान को मान्यता प्राप्त होने की अनिवार्यता नहीं होगी।

(iii) इस संबंध में चिकित्सा करने वाले प्रथम चिकित्सा पदाधिकारी / चिकित्सा संस्थान द्वारा यह प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा कि यह मामला तेजाब हमले से पीड़ित का है तथा पीड़ित / पीड़िता मुख्य मंत्री चिकित्सा सहायता कोष से प्रावधानित मुआवजा राशि प्राप्त करने योग्य है।

(iv) यह राशि सीधे संबंधित अस्पताल / चिकित्सा संस्थान को दी जाएगी।

(v) मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से मुआवजा राशि प्रदान करने के लिए इस मामले में कोई वार्षिक आय संबंधी सीमा नहीं होगी।

(vi) संकल्प संख्या 752 (14) दिनांक 26.06.2015 में तेजाब हमलों के पीड़ितों को 'मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष' से प्रावधानित चिकित्सा सहायता की कंडिका 2 की उप कंडिका (xi) को इस हद तक संशोधित माना जाएगा।

ह0 / –
(शेखर चन्द्र वर्मा)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक –

/स्वा0 पटना, दिनांक –2015

प्रतिलिपि – अधीक्षक,सचिवालय मुद्रणालय एवं प्रेस, गुलजारबाग, पटना को गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक – 839 (14)

/स्वा0 पटना, दिनांक –2015 - 13-7-15

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सभी जिला एवं सचिवालय सिंचाई भवन पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–मुख्य सचिव, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव/सचिव सभी विभाग/सभी जिलाधिकारी, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना/उपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, अधीक्षक, सभी मेडिकल कालेज एवं अस्पताल/प्राचार्य, सभी मेडिकल कॉलेज/सभी सिविल सर्जन को सूचनार्थ।

प्रतिलिपिः– महान्यायवादी, सर्वोच्य न्यायालय, नई दिल्ली /महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना,/सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश सभी जिला, बिहार को सूचनार्थ।

13/7/15

सरकार के संयुक्त सचिव।
13.7.15

d-rajesh-sankalp acid attack